

Order No:- 373L/2021-22



केंद्रीय विद्यालय संगठन(मु.)  
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016  
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)  
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.  
Tel.: 011-2695168, 8860748880  
Email- mpquota@kvs.gov.in  
Website: www.kvsangathan.nic.in

File No: 11-PUB0GEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक- 09.07.2021

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Shri Devendrappa Y** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. **182** के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2021-22 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	NIRUPAMA LEEGY	PRASANNA VENKATESH LEEGY MOB - 7892558946	1	BALLARI
2	B. NANDINI	B.U CHIRANJEEVI MOB - 9986001075	1	HOSAPETE
3	AFFIFA B SHAIKH	NIZAMUDDIN B SHAIKH MOB - 9845288388	1	HOSPETE
4	HEMA VARSHA	D. SURESH MOB - 9449536622	3	BALLARI
5	IDURI TANAYA	IDURI VINAY MOB - 7406066318	1	HOSPETE
6	SATHVIK REDDY	BHASKAR REDDY MOB - 8310491418	1	BALLARI
7	GOUTHAM JHOSHI	SIHMADRI JHOSHI MOB - 9844944951	2	HOSPETE
8	DHANYA SHRI	ASHOK KUMAR MOB - 9448303929	1	BALLARI
9	SIDDARTH S	SATHISH S SHRI MOB - 8217594620	2	HOSPETE
10	R. AROON SHREYAS	RAM REDDY MOB - 9845643940	2	BALLARI


प्रवेश प्रभारी के वि. सं.  
प्रवेश नियमावली के अनुसार  
भावश्यक कार्यवाही करें।

11/7/21  
14/07/21

प. ३

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. सं. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।
- (iv) प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2021 है।



(पिया ठाकुर)  
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Devendrappa Y माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, केविसं, BENGALURU संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। (ई. मेल)